

अधीक्षक
UNDER SECRETARY



उप राष्ट्रपति कार्यालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली NEW DELHI - 110011
TEL: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/39/2013-14

26 जुलाई, 2013

सेवा में,
श्री चेतन चावला
लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
वन विज्ञान भवन, सेक्टर-5,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली--243003, उत्तर प्रदेश का दिनांक 15 जुलाई 2013 का पत्र दिनांक 20 जुलाई 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 19एफ 006511 संलग्न कर अपने आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय वस्तु प्रदूषण नियंत्रण विभाग से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली--243003, उत्तर प्रदेश -कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।
2. श्रीयुत वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक, डाकघर, बरेली डिवीजन, बरेली उत्तर प्रदेश सूचनार्थ।

O/C

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Department Of Posts

O/oSr Supdt of Post Offices Bareilly Division Bareilly-243001

To

Kendriya Jan Suchna Adhikari
Up Rashtrapati Sachivalaya
6 Maulana Azad Road
New Delhi- 110011

No- OS/RTI/FORWARDING-7/July/13-14 /DATED AT BAREILLY 17/07/2013.


Sub-Regarding Forwarding The RTI Application of Shri Farid Hussain , 453, Hussain Bagh,
Kila Bareilly under RTI Act 2005.

Find Enclosed herewith a letter of Shri Farid Hussain , 453, Hussain Bagh, Kila Bareilly under RTI Act 2005, for causing compliance. You are requested to forward the compliance report to the addressee direct and a copy to this office for information also.

Enclosures: Original Application(8) and IPO NO- 19F 006511 Amt Rs 10/-.


Sr. Supdt. of Post Office
Bareilly Div. Bareilly-243001

Copy to : Shri Farid Hussain , 453, Hussain Bagh, Kila Bareilly for his kind information.


Sr. Supdt. of Post Office
Bareilly Div. Bareilly-243001

माध्यम से प्रवर अधीक्षक डाकघर बरेली.२४३००१

सेवा में


मा० केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी.

आर.टी. आई.एक्ट २००५

उप राष्ट्रपति सचिवालय.

६, मौलाना आज़ाद रोड,

नई दिल्ली.११००११



विषय.सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ७ के अधीन सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन सम्बन्धी सूचनाएं ४८ घण्टें में प्रदान किये जाने के संदर्भ में।

प्रिय महोदय. बरेली दिनांक १५/०७/२०१३

निवेदन है कि प्रार्थी फरीद हुसैन को उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निम्न सूचनाएं ४८घण्टें में प्रदान कराने का कष्ट करें। निर्धारित शुल्क रु०१० मात्र का पोस्टल आर्डर स०१६ एफ ००६५११ मूल रूप में संलग्न है।

प्रार्थी फरीद हुसैन ने दिनांक १२/०७/०१३ को महामहिम उप राष्ट्रपति जी को एक प्रार्थना पत्र [प्रति संलग्न] मुहल्ला हुसैन बाग बरेली में नगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गैर कानूनी ढंग से कूड़ा कचरा डलवाने से फैलने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगवाने के लिए प्रार्थी की ओर से नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जनहित याचिका दायर करवाने के संदर्भ में भेजा था उल्लेखनीय है कि पर्यावरण से जुड़े इस प्रकरण में महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय अपनी विशेष न्यायिक शक्तियों का उपयोग करके प्रार्थी की ओर से मा० नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वन विज्ञान भवन सैक्टर वी.आर.के. पुरम नई दिल्ली ११००२२ में जन हित याचिका दायर करवाकर मुहल्ला हुसैन बाग में रहने वाले लोगों को न्याय प्रदान करवा सकते हैं भारतीय संविधान में महामहिम को ऐसा करने का पर्याप्त अधिकार है राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल अधिनियम २०१० को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा २ जून २०१० को मंजूरी प्रदान की गई थी जिसके तहत नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है यह पर्यावरण से जुड़े नागरिक मामलों की तीव्र सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत है क्योंकि आपके सचिवालय के माध्यम से कई बार निर्देश जारी किये जाने के बाद भी प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण अब जनहित में न्यायोचित कार्यवाही करवाने के लिए पर्यावरण से जुड़े इस प्रकरण को महामहिम राष्ट्रपति व भारत सरकार द्वारा

स्थापित मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के न्यायालय में यह प्रकरण स्थानान्तरित किया जाना ही अन्तिम विकल्प है इसलिए आप कृपया प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनाएं जो मुहल्ला हुसैन बाग में रहने वाले नागरिकों के जीवन की रक्षा से सम्बन्धित हैं यह प्रार्थना पत्र प्रपति के पश्चात ४८ घण्टों में प्रेषित करवाने का कष्ट करें। अति कृपा होगी।

[१] प्रार्थी के संलग्न प्रार्थना पत्र पर न्यायोचित कार्यवाही करवाने के लिए महामहिम के माध्यम से प्रार्थी का संलग्न प्रार्थना पत्र मा० चीअरपरसन - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वन विज्ञान भवन सैक्टर वी.आर.के. पुरम नई दिल्ली को आवश्यक विधिक कार्यवाही करवाने के लिए अग्रसारित किया गया है या नहीं बताने की कृपा करें।

[२] यदि संलग्न पत्र अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अग्रसारित नहीं किया गया है तो मामले की गम्भीरता को देखते हुए महामहिम के माध्यम से इसे ट्रिब्यूनल को कब तक अग्रसारित किया जाएगा बताने का कष्ट करें।

प्रार्थी

Forsced,
फरीद हुसैन

४५३ हुसैन बाग.

किला बरेली. २४३००३